क्रम-संख्या–399

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 1 अगस्त, 1977

श्रावण 9, 1899 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

शिक्षा अनुभाग–6

संख्या 8314/15 (6)-9 (7)-73

लखनऊ, 1 अगस्त, 1977

अधिसूचना

प० आ०--367

उत्तर प्रदेश साधारण [illegible] अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश बेसिक शि[illegible] अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34, 1972) की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का [illegible] करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :--

उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा की [illegible]) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1977

[illegible]त्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती तथा [illegible] संशोधन) नियमावली, 1977 कही जायगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

[illegible] प्रवृत्त होगी।

नियम 9, 10 11 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें और अन्य शर्तें) नियमावली, 1975 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियमों के स्थान पर स्तम्भ--2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे:--

स्तम्भ--1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ--2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
9--कोई भी व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में अध्यापक या अन्य कर्मचारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि वह परिषद् द्वारा तदर्थ-विनिर्दिष्ट अर्हताएं न रखता हो।	9--कोई भी व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में अध्यापक या अन्य कर्मचारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि वह परिषद् द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट अर्हताएं न रखता हो और अध्यापकों की दशा में जिसकी नियुक्ति के लिये बेसिक शिक्षा अधिकारी से लिखित पूर्वानुमोदन प्राप्त न कर लिया गया हो। रिक्ति की स्थिति में नियुक्ति के लिए सम्बद्ध प्रबन्धाधिकरण द्वारा कम से कम दो समाचार पत्रों में (जिसमें से एक दैनिक समाचार पत्र होगा) विज्ञापन के माध्यम से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जायेंगे तथा आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के लिए कम से कम तीस दिन का समय दिया जायगा। साक्षात्कार का दिनांक विज्ञापन में दिया जा सकता है या अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा साक्षात्कार के लिए निर्धारित दिनांक की सूचना दी जा सकती है। पत्र जारी करने के दिनांक से कम से कम पन्द्रह दिन का समय दिया जायगा। प्रबन्धाधिकरण किसी अप्रशिक्षित अध्यापक का चयन नहीं करेगा और सामान्यतः यदि चयन किया गया अभ्यर्थी प्रशिक्षित हो तो वह बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया जायगा।
10--कोई मान्यता प्राप्त स्कूल अपने प्रत्येक अध्यापक तथा कर्मचारी को दिनांक 1 जुलाई, 1975 से वही वेतन-मान, महंगाई-भत्ता तथा अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने का जिम्मेदार होगा जो परिषद् के समान अर्हता वाले अध्यापकों तथा कर्मचारियों को दिया जाय।	10--मान्यता प्राप्त स्कूल प्रत्येक अध्यापक तथा कर्मचारी को दिनांक 1 जुलाई, 1975 से वही वेतन-मान, महंगाई भत्ता तथा अतिरिक्त महंगाई भत्ता देगा जो परिषद् के समान पदधारक अध्यापकों तथा कर्मचारियों को दिया जाता हो। वेतन का भुगतान चेक द्वारा किया जायगा।
11--किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल के अध्यापक को, सिवाय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन से, दण्ड स्वरूप न तो पदच्युत किया जायगा और न सेवा से हटाया जायगा:	11--मान्यता प्राप्त स्कूल के किसी अध्यापक को या अन्य कर्मचारी को, सिवाय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिखित पूर्वानुमोदन से, पदच्युत करने, हटाने या उसकी सेवा समाप्त करने का आदेश नहीं दिया जायगा:
प्रतिबन्ध यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित तथा प्रबन्धित मान्यता प्राप्त स्कूल की दशा में, प्रबन्धाधिकरण के इस निश्चय के लिए कि किसी अध्यापक को पदच्युत किया जाय या सेवा से हटाया जाय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता न होगी, किन्तु इस बात की सूचना उसे दे दी जायगी।	प्रतिबन्ध यह है कि संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित तथा प्रबन्धित मान्यता प्राप्त स्कूल की दशा में ऐसे आदेश के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित न होगा किन्तु उन्हें इसकी सूचना दी जायगी।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation, of the notification no. 8314/XV(6)--9(7)-73--U.P.A.-34-1972--Rule-1975--AM(1)-77, dated August 1, 1977, for general information:

No. 8314/XV(6)--9(7)-73--U.P.A.-34/1972-Rule-1975-AM(1)-77

Dated Lucknow, August 1, 1977

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section (9) of the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972 (U. P. Act no. 34 of 1972), read with section 21 Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U. P. Act no. I of 1904), the Governor is pleased to make the following Rules:

क्रम-संख्या–399

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 1 अगस्त, 1977

श्रावण 9, 1899 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

शिक्षा अनुभाग–6

संख्या 8314/15 (6)-9 (7)-73

लखनऊ, 1 अगस्त, 1977

अधिसूचना

प० आ०--367

उत्तर प्रदेश साधारण [illegible] अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश बेसिक शि[illegible] अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34, 1972) की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन [illegible] का [illegible] करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :--

उत्तर प्रदेश मान्यता प्रा[illegible] बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा की [illegible]) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1977

[illegible]त्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती तथा [illegible] संशोधन) नियमावली, 1977 कही जायगी। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

[illegible] दिनांक से प्रवृत्त होंगी।

नियम 9, 10, 11 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें और अन्य शर्तें) नियमावली, 1975 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियमों के स्थान पर स्तम्भ--2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे:--

स्तम्भ--1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ--2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
9--कोई भी व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में अध्यापक या अन्य कर्मचारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि वह परिषद् द्वारा तदर्थ-विनिर्दिष्ट अर्हताएं न रखता हो ।	9--कोई भी व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में अध्यापक या अन्य कर्मचारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि वह परिषद् द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट अर्हताएं न रखता हो और अध्यापकों की दशा में जिसकी नियुक्ति के लिये बेसिक शिक्षा अधिकारी से लिखित पूर्वानुमोदन प्राप्त न कर लिया गया हो । रिक्ति की स्थिति में नियुक्ति के लिए सम्बद्ध प्रबन्धाधिकरण द्वारा कम से कम दो समाचार पत्रों में (जिसमें से एक दैनिक समाचार पत्र होगा) विज्ञापन के माध्यम से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जायेंगे तथा आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के लिए कम से कम तीस दिन का समय दिया जायगा । साक्षात्कार का दिनांक विज्ञापन में दिया जा सकता है या अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा साक्षात्कार के लिए निर्धारित दिनांक की सूचना दी जा सकती है । पत्र जारी करने के दिनांक से कम से कम पन्द्रह दिन का समय दिया जायगा । प्रबन्धाधिकरण किसी अप्रशिक्षित अध्यापक का चयन नहीं करेगा और सामान्यतः यदि चयन किया गया अभ्यर्थी प्रशिक्षित हो तो वह बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया जायगा ।
10--कोई मान्यता प्राप्त स्कूल अपने प्रत्येक अध्यापक तथा कर्मचारी को दिनांक 1 जुलाई, 1975 से वही वेतन-मान, महंगाई-भत्ता तथा अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने का जिम्मेदार होगा जो परिषद् के समान अर्हता वाले अध्यापकों तथा कर्मचारियों को दिया जाय ।	10--मान्यता प्राप्त स्कूल प्रत्येक अध्यापक तथा कर्मचारी को दिनांक 1 जुलाई, 1975 से वही वेतन-मान, महंगाई भत्ता तथा अतिरिक्त महंगाई भत्ता देगा जो परिषद् के समान पदधारक अध्यापकों तथा कर्मचारियों को दिया जाता हो । वेतन का भुगतान चेक द्वारा किया जायगा ।
11--किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल के अध्यापक को, सिवाय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन से, दण्ड स्वरूप न तो पदच्युत किया जायगा और न सेवा से हटाया जायगा :	11--मान्यता प्राप्त स्कूल के किसी अध्यापक को या अन्य कर्मचारी को, सिवाय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिखित पूर्वानुमोदन से, पदच्युत करने, हटाने या उसकी सेवा समाप्त करने का आदेश नहीं दिया जायगा:
प्रतिबन्ध यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित तथा प्रशासित मान्यता प्राप्त स्कूल की दशा में, प्रबन्धाधिकरण के इस निश्चय के लिए कि किसी अध्यापक को पदच्युत किया जाय या सेवा से हटाया जाय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता न होगी, किन्तु इस बात की सूचना उसे दे दी जायगी ।	प्रतिबन्ध यह है कि संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित तथा प्रशासित मान्यता प्राप्त स्कूल की दशा में ऐसे आदेश के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित न होगा किन्तु उन्हें इसकी सूचना दी जायगी ।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation, of the notification no. 8314/XV(6)--9(7)-73--U.P.A.-34-1972--Rule-1975--AM(1)-77, dated August 1, 1977, for general information:

No. 8314/XV(6)--9(7)-73--U.P.A.-34/1972-Rule-1975-AM(1)-77

Dated Lucknow, August 1, 1977

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section (9) of the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972 (U. P. Act no. 34 of 1972), read with section 21 Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U. P. Act no. I of 1904), the Governor is pleased to make the following Rules :

अध्याय 12

उत्तर प्रदेश मान्यता-प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें और अन्य शर्तें) नियमावली, 1975

उत्तर प्रदेश साधारण गजट में अधिसूचना संख्या 1931 पन्द्रह (5)-9-([illegible] दिनांक 20 मई, 1975 द्वारा प्रकाशित

अनुसूची

उत्तर प्रदेश शिक्षा अधिनियम 1972 की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें और अन्य शर्तें) नियमावली 1975 कहलायेगी।

(2) यह नियम और नियम 11 तत्काल लागू होंगे तथा शेष उपबन्ध 1 जुलाई, 1975 से प्रवृत होंगे।

2. परिभाषायें — इस नियमावली में जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 से है।

(ख) "जूनियर बेसिक स्कूल" का तात्पर्य हाई स्कूल या इन्टरमीडिएट कालेज से भिन्न ऐसी संस्था से है जिसमें कक्षा 5 तक की शिक्षा दी जाती हो।

(ग) "परिषद" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन संघटित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से है।

(घ) "जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से है।

(ङ) "मान्यता प्राप्त स्कूल" का तात्पर्य इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी ऐसे जूनियर स्कूल से है जो परिषद या किसी स्थानीय निकाय की संस्था न हो और उसके द्वारा पूर्णतः अनुरक्षित न हो।

3. लागू होना — प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कूल एतत्पश्चात् विनिर्दिष्ट शर्तों तथा निबन्धनों को मानने के लिए बाध्य होगा।

4. वित्तीय साधन — प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कूल में, उसके सुचारु रूप से संचालन के लिए उस स्कूल के प्रबन्धाधिकरण द्वारा पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध किये जायेंगे तथा जिन विषयों में अध्यापन के लिए ऐसे स्कूल को मान्यता दी गई हो, उनके लिए परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट मानक के अनुसार पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी।

5. भवन तथा साज सज्जा — प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कूल के लिए ऐसे भवन, शौचालय खेलकूद के मैदान एवं साज सज्जा की, जो परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार हो, तथा साफ और हवादार भवन का निर्माण स्वास्थ्यप्रद स्थान एवं वातावरण में किये जाने की व्यवस्था की जायेगी।

6. शिक्षा शुल्क — नियम 7 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में विद्यार्थियों

से शिक्षा शुल्क 15 रुपये प्रतिमास से अनधिक की दर से लिया जा सकता है तथा कोई भी धनराशि चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय शुल्क चन्दा या अंशदान के रूप में विद्यार्थियों से नहीं ली जायेगी।

7. शिक्षा शुल्क से छूट — किसी मान्यता प्राप्त स्कूल मे उस स्कूल की नामावली में दर्ज कुल छात्र संख्या के 25 प्रतिशत छात्रों को शिक्षा संहिता पैरा 106 से 114 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, जहाँ तक वे लागू किये जा सकें, निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की जायगी।

8. पाठ्य पुस्तकें — किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी और न पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायगा।

9. अध्यापकों की नियुक्ति — कोई भी व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में अध्यापक या अन्य कर्मचारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि वह ऐसी अर्हता न रखता हो जो परिषद द्वारा इस निमित्त विहित की जाय जब तक कि उसकी नियुक्ति के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी का लिखित पूर्वानुमोदन न प्राप्त कर लिया जाय। रिक्ति की अवस्था में सम्बद्ध प्रबन्धाधिकरण द्वारा कम से कम दो समाचार पत्रों में (जिनमे से एक दैनिक समाचार पत्र होगा) आवेदन पत्र देने के लिए कम से कम तीन दिन का समय देते हुए, विज्ञापन देकर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जायेंगे। साक्षात्कार का दिनाँक विज्ञापन में दिया जा सकता है, अथवा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए नियत दिनाँक की सूचना रजिस्ट्री डाक द्वारा दी जा सकती है, जिसके लिए पत्र जारी करने के लिए नियत दिनांक से कम से कम 15 दिन का समय दिया जायगा। प्रबन्धाधिकरण किसी अप्रशिक्षित अध्यापक का चयन नहीं करेगा और यदि चयन किया गया अभ्यर्थी प्रशिक्षित है, तो बेसिक शिक्षा अधिकारी उसका अनुमोदन करेगा।

10. अध्यापकों का वेतन — कोई मान्यता प्राप्त स्कूल अपने प्रत्येक अध्यापक तथा कर्मचारी को 1 जुलाई, 1975 से वही वेतनमान मंहगाई भत्ता तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्ता देने का जिम्मेदार होगा जो परिषद के समान अर्हता वाले अध्यापकों तथा कर्मचारियों को दिया जाय।

11. अध्यापकों को पदच्युत तथा सेवा से हटाना — किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल के अध्यापक को सिवाय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन के, दन्ड स्वरूप न तो पदच्युत किया जायगा और न सेवा से हटाया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खन्ड (1) में निर्दिष्ट अल्प संख्यक वर्ग द्वारा स्थापित तथा प्रतिबन्ध मान्यता प्राप्त स्कूल की दशा में, प्रबन्धाधिकरण के निश्चय के लिए किसी अध्यापक को पदच्युत किया जाय या सेवा से हटाया जाय, जिला बेसिक शिक्षाधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता न होगी किन्तु इस बात की सूचना उसे दी जायेगी।

12. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील — जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नियम 11 के अधीन दिये गये आदेश से क्षुब्ध कोई अध्यापक या प्रबन्धाधिकरण ऐसा आदेश सूचित किये जाने के दिनाँक से तीस दिन के भीतर परिषद की अपील कर सकता है और ऐसे अपील पर परिषद या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दिया गया आदेश अन्तिम होगा।

टिप्पणियाँ

(क) भारत का संविधान, अनुच्छेद 226-उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों

ANNEXURE C.A. NO. 1

रजिस्टर्ड नं0 ए0 जी–4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ – मंगलवार, 20 मई, 1975

वैशाख 30 1897 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

शिक्षा अनुभाग–6

संख्या–1931–15(6)–9(7) 73

लखनऊ 30 मई, 1975

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती, तथा सेवा की शर्तें, और अन्य शर्तें)

नियमावली 1975

1– (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें, और अन्य शर्तें) नियमावली 1975 कहलायेगी। — संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

(2) यह नियम और नियम 11 तत्काल लागू होंगे तथा शेष उपबन्ध 1 जुलाई, 1975 से प्रवृत्त होंगे।

2– इस नियमावली में जब तक कि प्रसंग से अन्यथा प्रक्षेपित नहीं------ — परिभाषाएं

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 से है।

(ख) "जूनियर बेसिक स्कूल" का तात्पर्य हाई स्कूल या इन्टरमीडिएट कालेज से भिन्न ऐसी संस्था से है जिसमें कक्षा 8 तक की शिक्षा दी जाती है।

(ग) " परिषद्" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित परिषद् उत्तर प्रदेश बेसिक से है ।

(घ) " जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से है ।

(ड.) "मान्यता प्राप्त स्कूल" का तात्पर्य इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व, परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी ऐसे जूनियर बेसिक स्कूल से है जो परिषद् या किसी स्थानीय निकाय की संस्थान हो और उसके द्वारा पूर्णतः अनुरक्षित न हो ।

लागू होना

3–प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कूल एवम् चालू विर्निदिष्ट शर्तो, तथा निर्बन्धनों मानने के लिए बाध्य होगा ।

वित्तीय साधन

4––––प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कूल में उसके सुचारू रूप से संचालन के लिए उस स्कूल के प्रबन्धाधिकरण द्वारा पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध किये जायेंगे तथा जिन विषयों में अध्यापक के लिए ऐसे स्कूल को मान्यता दी गई हो, उनके लिए परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट मानक के अनुसार पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी ।

भवन तथा साज–सज्जा

5––––प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कूल के लिए ऐसे भवन, शौचालय, खेल–कूद के मैदान एवं साज–सज्जा की, जो , परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार हो, तथा साफ और हवादार भवन का निर्माण स्वास्थ्यप्रद स्थान एवं वातावरण में किये जाने की व्यवस्था की जायेगी ।

शिक्षा शुल्क

6––––नियम–7 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में विद्यार्थियों से शिक्षा शुल्क 15 रूपये प्रतिमास से अनधिक की दर लिया जा सकता है तथा कोई भी धनराशि, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय शुल्क, चन्दा या अंशदान के रूप में विद्यार्थियों से नहीं ली जायेगी ।

शिक्षा शुल्क से छूट

7––––किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में उस स्कूल की नामावली में दर्ज, कुल छात्र संख्या के 25 प्रतिशत छात्रों को शिक्षा संहिता के पैरा 106 से 114 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जहां तक वे लागू किये जा सके, निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की जायेगी ।

पाठ्य पुस्तके

8––––किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में परिषद् द्वारा विहित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्क्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी और न पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा ।

अध्यापकों की

9––––कोई भी व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में अध्यापक या अन्य कर्मचारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह परिषद् द्वारा तदर्थ विनिर्दिष्ट

---3

नियुक्ति अर्हतायें न रखता हो ।

अध्यापकों का वेतन 10----कोई मान्यता प्राप्त स्कूल अपने प्रत्येक अध्यापक तथा कर्मचारी को दिनांक 1 जुलाई, 1975 से वही वेतनमान, मंहगाई भत्ता तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्ता देने का जिम्मेदार होगा जो परिषद् के समान अर्हता वाले अध्यापकों तथा कर्मचारियों को दिया जाय ।

अध्यापकों को पदच्युत तथा सेवा से हटाना 11----किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल के अध्यापक को सिवाय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन के दण्ड स्वरूप न तो पदच्युत किया जायेगा और न सेवा से हटाया जायेगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड(1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित सेवा प्रबंधित मान्यता प्राप्त स्कूल की दशा में, प्रबन्धाधिकारण के इस निश्चय के लिए कि किसी अध्यापक को पदच्युत किया जाय या सेवा से हटाया जाय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता न होगी, किन्तु इस बात की सूचना उसे दी जायेगी ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील— 12----जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नियम 11 के अधीन दिये गये आदेश से क्षुब्ध कोई अध्यापक या प्रबन्धाधिकरण ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर परिषद् को अपील कर सकता है और ऐसे अपील पर परिषद या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दिया गया आदेश अन्तिम होगा ।

मान्यता की शर्तों का पालन करने का कर्तव्य 13----किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के प्रबन्ध निकाय या उसके कार्यों का प्रबन्ध करने वाले अन्य व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम तथा इस नियमावली के उपबन्धों का तथा परिषद् द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा समय-समय पर जारी किये गये विधि पूर्ण निदेशों का पालन करें ।

मान्यता का वापस लेना 14----यदि परिषद् को यह समाधान हो जाय कि किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के सम्बन्ध में अधिनियम या इस नियमावली के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है तो परिषद् ऐसे स्कूल के प्रबन्ध निकाय या उसके कार्यों का प्रबन्ध करने वाले अन्य व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् मान्यता वापस ले सकता है ।

''''''''''''

No. 931/xv(6)-9(7)-75

In exercise of the powers under suber subsection (1) of section 19 of the Uttar Pradesh Basic Education Act 1972 the Governor is plcased to make the following rules:

UTTAR PRADESH RECOGNISED BASIC SCHOOLS (RECRUITMENT AND CONDITIONS OF SERVICE OF TEACHERS AND OTHER CONDITION) RULES 1975

1. (1) These rules may be called the Uttar pradesh Recognised Basic nools(Recruitment and conditions of service of Teachers and other condions) Rules 1975.

(2) This rule and rule 11 shall come into force at once and the remaining novijons shall come into force on the first day of july.1975